

अमल दरामद भूमि कब्जे में लेने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

जनपद टिहरी के अन्तर्गत चमियाला इन्द्रवाण गाँव कांगड़ा मोटर मार्ग से ग्राम-चमियाला मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.697 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप जिलाधिकारी, टिहरी आदेश सं०- 144/XXXVI-28 (2014-15) दिनांक 15-10-2015 से जारी निर्देश के क्रम में ग्राम-चमियाला, पट्टी-केमर, तहसील-घनसाली, अमल दरामद 9.394 है० चिन्हित सिविल भूमि जो खसरा-1432, 1433, 1427, 1428, 1426, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 4479, 4480, 4481, 5219, 5220 रक्वा 9.394 है० में है। राजि अधिकारी बालगंगा द्वारा अपने कब्जे में ले ली गई है। जिसके फलस्वरूप उक्त प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है।

(शिवप्रताप कुमार)
वन अधिकारी
चमियाला

(राजि अधिकारी)
वन अधिकारी
बालगंगा

वन क्षेत्र अधिकारी
बालगंगा राजि चमियाला
वाल गंगा राजि
चमियाला

राजस्व उपनिरीक्षक
(क्षेत्र-वैभवाजी)
तहसील ~~वैभवाजी~~
जिल्ला मुम्बई

आदेशः

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय पिरयसन रोड़ वन अनुसंधान संस्थान परिसर, पो0ओ0 न्यू फॉरेस्ट, देहरादून के पत्रांक संख्या-08वी0 यू0सी0पी0/06/58/2015/एफ0सी0/982 दिनांक 14 अगस्त 2015 के द्वारा जनपद के अन्तर्गत चमियाला इन्द्रवाणगांव-कांगड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.697हे0 भूमि के गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रश्नगत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु कतिपय प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त स्वीकृति की शर्त संख्या-01 के अनुसार ~~चमियाला इन्द्रवाणगांव-कांगड़ा मोटर मार्ग~~ के निर्माण हेतु 4.697हे0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सापेक्ष 9.394हे0 ग्राम चमियाला की सिविल सोयम भूमि को हस्तान्तरित किया जाना है।

उप जिलाधिकारी 'घनसाली' द्वारा अपने प्रस्ताव दिनांक 14.09.2015 के अनुसार उत्तराखण्ड सरकार की भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है:-

तहसील 01	ग्राम सभा 02	खाता संख्या 04	खसरा संख्या 05	अर्जित रक्का (हे०घे) 06	भूमि की किस्म 07
घनसाली	चमियाला	512	1418	0.137	श्रेणी 2(3)ड
			1424	0.154	
			1423	0.204	
			1422	0.165	
			1421	0.193	
			1420	0.159	
			1419	0.289	
			1417	0.078	
			1472	0.143	
			1471	0.130	
			1431	0.131	
			1432	0.165	
			1433	0.189	
			1427	0.371	
			1428	0.446	
			1426	0.893	
			2912	0.037	
			2913	0.26	
			2914	0.078	
			2915	0.045	
			2916	0.123	
			2917	0.213	
			2918	0.375	
			2919	0.046	
			2920	0.375	
			2921	0.25	
			2922	0.464	
			2923	0.041	
			2924	0.185	
			3315	1.196	
			3316	0.051	
			3317	0.191	
			3318	0.125	
			3319	0.208	
			4479	0.443	
			4480	0.485	
			4481	0.25	
			5219	0.05	
			5220	0.056	
योग				9.394	

सार

प्रस्तावित चमियाला इन्द्रवाणगांव-कांगड़ा मोटर मार्ग का प्रस्ताव शासनादेश संख्या 2882/XVIII (II) 11-18 (120) /2010 दिनांक 11.11.2011 पर शासनादेश संख्या 2365/XVIII(II)/13-18(120)/2010 टी0सी0 दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार प्रस्तावित 12.077हे0 वन भूमि के सापेक्ष दुगनी 9.394हे0 सिविल राजस्व भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तन किया जाना है।

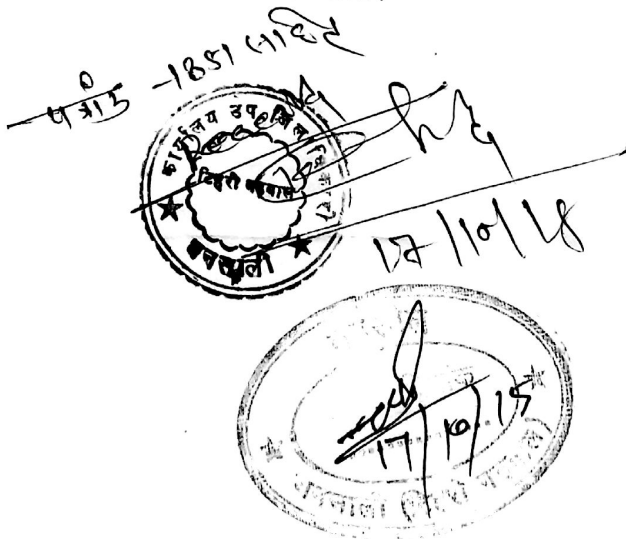
अतएव शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 राजस्व अनुभाग दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी घनसाली द्वारा प्रस्तावित की गयी ग्राम चमियाला की 9.394हे0 राजस्व सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अन्तर्गत की जाती है। तहसीलदार घनसाली तत्काल उक्त भूमि का राजस्व अभिलेखों में नामान्तरण/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(युगल किशोर पन्त)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

- संख्या-144/XXVI- 28 (2014-15) दिनांक नई टिहरी अक्टूबर/15 2015
- प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:
- 1- सचिव वन विभाग उत्तराखण्ड शासन।
 - 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
 - 3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
 - 4- नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तान्तरण वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
 - 5- प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी।
 - 6- उपजिलाधिकारी घनसाली।
 - 7- अधिशासी अभियन्ता, अ0ख0लो0नि0वि0 घनसाली।
 - 8- तहसीलदार घनसाली।



जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।